

प्रथम अध्याय

राज्य शासन के वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016-17 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संघय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

विश्लेषण छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की पार्श्व दृश्य परिशिष्ट 1.1 (भाग-अ) में दी गई है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)¹

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1- भारत का सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
प्रचलित भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,06,833	2,21,142	2,34,212	2,62,263	2,91,681
प्रचलित भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.52	6.92	5.91	11.98	11.22
स्थिर भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,82,579	1,85,882	1,97,069	2,13,649	2,27,866
स्थिर भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.00	1.81	6.02	8.41	6.65

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)

वर्ष 2017-18 में राज्य का प्रतिव्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ 1,10,628), भारत के प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ 1,29,800) से कम था। यद्यपि, पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश (₹ 88,817), झारखंड (₹ 74,390) और उत्तरप्रदेश (₹ 61,558) से अच्छा था।

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या परिशिष्ट 1.1 के भाग-ब में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास भाग-ग में चित्रित किया गया है।

1.1.1 वर्ष 2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति परिशिष्ट 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2 एवं 1.3 वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट 1.3 (भाग अ और ब) वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण के साथ-साथ समग्र वित्तीय स्थिति का एक सार प्रदान करता है।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक है।

तालिका 1.2: प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वर्ष 2017-18 में 2016-17 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व प्राप्तियाँ	32,050.26	37,988.01	46,067.71	53,685.25	59,647.07	11.11
स्वयं के कर राजस्व	14,342.71	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68	5.01
कर भिन्न राजस्व	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	11.84
राज्य के स्वयं की प्राप्तियाँ	19,443.88	20,637.17	22,289.65	24,614.46	26,235.10	6.58
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	7,880.22	8,363.03	15,716.67	18,809.16	20,754.81	10.34
भारत सरकार का अनुदान	4,726.16	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.16	23.34
भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य						
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	7.64	3.03	2.84	2.37	3.32	40.08
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1,637.27	194.86	296.39	172.99	138.59	(-)19.89
अंतर्राज्यीय समायोजन	5.14	0.91	0.52	0.38	1.24	226.32
लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,931.89	6,439.67	7,251.15	5,479.93	9,652.44	76.14
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	45,867.54	51,321.89	55,059.09	62,693.95	72,057.56	14.94
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,116.94	2,735.29	1,218.38	2,833.72	4,658.85	64.41
योग	85,616.68	98,683.66	1,09,896.08	1,24,928.59	1,46,159.07	16.99

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में, वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (10.34 प्रतिशत) राज्य की स्वयं की प्राप्तियाँ (6.58 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा तेजी से वृद्धि की।

तालिका 1.3: व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वर्ष 2017-18 में 2016-17 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व व्यय	32,859.57	39,561.29	43,701.06	48,164.60	56,229.75	16.74
सामान्य सेवायें	7,851.15	9,041.58	10,408.76	11,496.23	12,870.41	11.95
समाजिक सुरक्षा	14,282.10	15,388.85	16,339.35	21,341.61	24,371.59	14.20
आर्थिक सेवायें	9,755.93	14,152.22	16,052.54	14,176.21	17,623.09	24.31
सहायता अनुदान/ अंशदान	970.39	978.64	900.41	1,150.55	1,364.66	18.61
भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत व्यय	4,574.19	6,544.25	7,945.01	9,470.51	10,000.96	5.60
संवितरित ऋण तथा आग्रिम	1,318.53	88.32	164.73	272.71	368.76	35.22
अंतर्राज्यीय समायोजन	5.30	1.22	0.49	0.44	1.07	143.18
लोक ऋण की अदायगी	689.65	1,336.73	1,250.18	1,152.63	999.88	(-) 13.25
आकस्मिकता निधि का विनियम	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण	43,434.15	49,933.47	54,000.89	61,148.85	71,753.74	17.34
अंतिम रोकड़ शेष	2,735.29	1,218.38	2,833.72	4,658.85	6,804.91	46.06
योग	85,616.68	98,683.66	1,09,896.08	1,24,928.59	1,46,159.07	16.99

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)/राजस्व व्यय (रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.4 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	औसत
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	32,050	37,988	46,068	53,685	59,647	
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.36	18.53	21.27	16.53	11.11	15.16
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	28,292	31,931	38,762	43,734	46,597	
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर	2.30	12.86	21.39	12.83	6.55	11.19
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.50	17.18	19.67	20.47	20.45	18.65
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	32,859	39,561	43,701	48,165	56,230	
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.83	20.40	10.46	10.21	16.74	15.93
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	29,006	33,253	36,771	39,237	43,928	
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.01	14.64	10.58	6.71	11.96	11.78
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.89	17.89	18.66	18.37	19.28	18.02
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,574	6,544	7,945	9,471	10,001	
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)7.01	43.07	21.41	19.21	5.60	16.46
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,038	5,501	6,685	7,715	7,813	
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)12.21	36.23	21.53	15.41	1.26	12.44
पूँ.व्य./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.21	2.96	3.39	3.61	3.43	3.12

जैसा की उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक रा.प्रा., रा.व्य. तथा पूँ.व्य. में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2017-18 के दौरान 2016-17 की तुलना में रा.प्रा. और पूँ.व्य. स.रा.घ.उ. के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष रा.व्य. मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

वर्ष 2016-17 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 48,165 करोड़ से वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 56,230 करोड़ मुख्य रूप से आवास (₹ 2,014 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 1,714 करोड़) और पॉवर (₹ 1,590 करोड़) में बढ़ोत्तरी (₹ 8,065 करोड़) की वजह से हुआ।

वर्ष 2016-17 में पूँजीगत व्यय ₹ 9,471 करोड़ से बढ़कर (₹ 530 करोड़) वर्ष 2017-18 में ₹ 10,001 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 की तुलना में पूँजीगत व्यय स.रा.घ.उ. के अनुपात (19.21 प्रतिशत) की कमी (5.60 प्रतिशत) मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय में पॉवर (₹ 446 करोड़) और लघु सिंचाई (₹ 261 करोड़) में कमी के कारण हुआ।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

14^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.5 में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसा कि राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14^{वें} वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: मुख्य राजकोषीय अवयव

राजकोषीय अवयव	2017-18			
	14 ^{वें} वित्त आयोग का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	आधिक्य ₹ 4,780.97 करोड़	आधिक्य ₹ 4,780.97 करोड़	आधिक्य ₹ 3,417.32 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.17 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना (₹ 9,646.64 करोड़)	₹ 9,646.64 करोड़	₹ 6,810.32 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 2.33 प्रतिशत)
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	17.05	18.47	19.87	18.14

राजकोषीय घाटा (₹ 6,810.32 करोड़) बजट अनुमान की तुलना में, मुख्यतः पूँजीगत व्यय (₹ 4,453 करोड़) तथा राजस्व आधिक्य (₹ 1,364 करोड़) में बजट की तुलना में कम होने के कारण हुआ।

राजस्व आधिक्य में बजट अनुमान की तुलना में कमी मुख्य रूप से, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (₹ 316 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹ 198 करोड़) में बजट अनुमान की तुलना में ज्यादा व्यय होने के कारण हुआ।

स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (18.14 प्रतिशत) 14^{वें} वित्त आयोग की सीमा (17.05 प्रतिशत) से ज्यादा था, जो राज्य शासन का छत्तीसगढ़ विकास ऋण के तहत बाजार ऋण ₹ 8,100 करोड़ लेने के कारण हुआ।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.6:-राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटे की संरचना					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	(-)809.31	(-)1,573.28	2,366.65	5,520.65	3,417.32
शुद्ध पूँजीगत व्यय	(-)4,566.55	(-)6,541.22	(-)7,942.17	(-)9,468.14	(-)9,997.64
शुद्ध ऋण तथा आग्रिम ²	318.58	106.23	131.69	(-)99.78	(-)230.00
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर	.	.	870.12	.	.
कुल	(-)5,057.28	(-)8,008.27	(-)4,573.71	(-)4,047.27	(-)6,810.32
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*					
बाजार से लिए गए उधार	2,843.99	3,807.65	4,666.75	3,897.68	8,100.00
भारत सरकार से ऋण	(-)134.50	(-)148.49	(-)18.79	211.57	292.41

² अन्तर्राज्यीय परिशोधन सम्मिलित।

1	2	3	4	5	6
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	1.42	414.18	389.09	(-)420.53	(-)431.13
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबार्ड)	531.33	645.80	525.92	638.58	691.28
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	383.80	(-)383.80	0.00	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	265.40	443.83	514.30	426.96	640.61
जमा तथा अग्रिम	1,818.98	466.62	(-)69.54	550.66	120.95
उंचत तथा विविध	(-)1,243.93	1,449.74	(-)1,823.27	(-)629.98	(-)1,611.16
प्रेषण	(-) 98.03	193.52	11.94	49.14	70.92
अन्य ³	305.16	264.02	389.93	639.80	(-)765.14
कुल	4,289.82	7,920.67	4,202.53	5,363.90	7,108.74
कुल अधिक्य (+)/घाटा(-)	(-) 767.46	(-) 87.60	(-) 371.18	1,316.63	298.42
योग	5,057.28	8,008.27	4,573.71	4,047.27	6,810.32

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

* सभी आंकड़े वर्ष के दौरान सवितरण/बहाव हैं।

1.1.2.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटों का प्राथमिक राजस्व घाटा⁴ एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित) का अपघटन राज्य के वित्त घाटा की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे (तालिका 1.7) का विभाजन दर्शाता है कि किस सीमा तक पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है जो कि सरकार की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.7 राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्रारंभिक राजस्व व्यय ⁵	पूँजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	प्राथमिक व्यय ⁶	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिकी घाटा का स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2013-14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,400	2,191	(-) 3,709	1.79
2014-15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281	2.84
2015-16	46,367	41,552	7,075'	165	49,662	4,815	(-) 2,425	1.04
2016-17	53,861	45,478	9,471	273	55,222	8,383	(-) 1,361	0.52
2017-18	59,790	53,131	10,001	370	63,502	6,659	(-) 3,712	1.27

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

* उदय योजना के अंतर्गत, ₹ 870.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकतायें

बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक प्राप्तियां और व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित और अनोपेक्षित घटनाओं के कारण या बजट तैयार करने के दौरान व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण हुआ, जो कि वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है


³ आकस्मिकता निधि और आरक्षित निधि सम्मिलित।

⁴ प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तिओं के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तिओं की सीमा को इंगित करता है।

⁵ प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय में से ब्याज भुगतान को छोड़कर है।

⁶ प्राथमिक व्यय, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजी तथा ऋण और अग्रिम को सम्मिलित करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए चयनित वित्तीय मानदंडों के बजट अनुमानों के मुताबिक वास्तविकता चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।



(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2017-18 और बजट अनुमान 2017-18)

जैसा कि, देखा जा सकता है, कि राज्य शासन वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 5,083 करोड़), जिसमें शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 1,914 करोड़), पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें (₹ 1,290 करोड़) और सामाजिक कल्याण और पोषण (₹ 545 करोड़) में बजट अनुमान के मुकाबले कमी करके महत्वपूर्ण राजस्व आधिक्य प्राप्त करने के सक्षम हुई, तत्पश्चात् वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसी तरह पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 4,453 करोड़) मुख्य रूप से परिवहन (₹ 2,517 करोड़) और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (₹ 894 करोड़) में कमी के कारण हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अंतर कम हो।

1.1.4 जेंडर बजट

राज्य का जेंडर बजट कुल बजट का वह हिस्सा होता है जो महिलाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है— (1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि, वित्त मंत्रालय की अनुशंसा (2006-07 का बजट भाषण) के अनुसार, राज्य शासन को जेंडर बजट सेल (जून 2012) का गठन करना था। जेंडर बजट सेल को, विभिन्न विभागों के बीच सामन्जस्य बनाते हुए, जेंडर बजट को लागू करना था, तथा महिला और बाल विकास विभाग इसकी निगरानी और विश्लेषण का कार्य सौंपा गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा जेंडर बजट सेल के कार्य के बारे में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई।

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 28 योजनाएं जो कि 100 प्रतिशत महिला केंद्रित कार्यों की थी, के लिए ₹ 4,904.25 करोड़ (₹ 3,639.26 करोड़; मूल बजट प्रावधान और ₹ 1,264.99 करोड़; पूरक बजट प्रावधान) के बजट प्रावधान किए गए थे (परिशिष्ट 1.5)। कुल बजट ₹ 4,904.25 करोड़ में से केवल ₹ 4,002.51 करोड़ (81.61 प्रतिशत) खर्च किया गया था तथा ₹ 897.93 करोड़ (18.33 प्रतिशत) या तो समर्पित या

पुनर्विनियोजित किया गया तथा ₹ 3.81 करोड़ (0.08 प्रतिशत) का अधिक व्यय, समर्पण के पश्चात उपलब्ध बजट से किया गया।

इसके अलावा, 99 योजनाओं के लिए बजट प्रावधान ₹ 9,555.67 करोड़, जिसमें बजट का एक भाग पृथक (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिलाओं के केंद्रित कार्यों पर खर्च किया जाना था, जिसे बिना किसी उप शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष के बनाया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के तहत महिलाओं के ऊपर खर्च की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।


अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय-समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सके और वास्तविक खर्च की जाँच के लिए अलग उप-शीर्ष और उद्देश्य-शीर्ष भी खोलना चाहिए।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 राज्य के वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन


चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 वित्त लेखों में वर्णित राज्य के वित्तीय संसाधनों के विभिन्न परिक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों की संरचना एवं उप घटक





(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)



(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2017-18)


1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केंद्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जिसे विवेचनात्मक के रूप में स्वीकार किया गया था और निधियाँ को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था अतएव, वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि वर्ष 2016-17 में जारी राशि ₹ 1,112.05 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 6,490.81 करोड़ की केन्द्रीय राशि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, पिछले वर्ष जारी राशि की तुलना में

₹ 5,378.76 करोड़ (483.68 प्रतिशत) के निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में वृद्धि हुई। मुख्यतः राशि, उन ईकाईयों को हस्तांतरित किया गया जो योजनाओं को लागू करती है, जो कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनाज का विकेन्द्रीकृत खरीदी हेतु आर्थिक सहायता, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अक्षय ऊर्जा-आफ ग्रिड, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इत्यादि।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तथा संरचना परिशिष्ट 1.6 तथा चार्ट 1.5 में दर्शायी गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेख)

वर्ष 2017-18 के दौरान, प्राप्ति में वृद्धि (₹ 5,962 करोड़, 11.11 प्रतिशत) मुख्यत रूप से राजस्व कर (₹ 950 करोड़), कर भिन्न राजस्व (₹ 671 करोड़), संघीय करो का हिस्सा (₹ 1,946 करोड़) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 2,395 करोड़), में ज्यादा प्राप्ति के कारण बढ़ोत्तरी हुई। स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में दर्शाए गए है।

तालिका 1.8: स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राज्य का स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राज्य के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	14,343	15,707	17,075	18,945	19,895
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	6.93	7.10	7.29	7.22	6.82
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/ राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	44.75	41.35	37.07	35.39	33.35

जबकि राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2013-14 में ₹ 14,343 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 19,895 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का समानुपात 2016-17 में 7.22 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 6.82 प्रतिशत हो गया।

छत्तीसगढ़ का राज्य का स्वयं का कर राजस्व और स.रा.घ.उ. का अनुपात (6.82 प्रतिशत), पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश (6.34 प्रतिशत), झारखंड (4.84 प्रतिशत) से बेहतर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश (7.08 प्रतिशत) से कम था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वें} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2017-18 हेतु राज्य की वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व

	14 ^{वें} वित्त का अनुमान	बजट अनुमान	एफ.आर.बी.एम. अनुमान	(₹ करोड़ में) वास्तविक
कर राजस्व	27,672	23,421	23,421	19,895
कर-भिन्न राजस्व	5,833	7,704	7,704	6,340

(स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2017-18)

बजट अनुमान के मुकाबले स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्य रूप से बिक्री पर कर, व्यापार इत्यादि (₹ 6,995 करोड़) जो कि जी.एस.टी. के लागू करने के कारण हुआ, माल तथा यात्रियों पर कर (₹ 1,289 करोड़), मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क (₹ 353 करोड़), भूमि राजस्व (₹ 154 करोड़), तथा वाहनों पर कर (₹ 20 करोड़) के कम संग्रहण के कारण हुई। यद्यपि, उसी दौरान राज्य वस्तु एवं सेवाकर (₹ 4,387 करोड़) के लागू किया गया और करों का संग्रहण मुख्य रूप से राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 886 करोड़) के अंतर्गत ज्यादा हुआ (परिशिष्ट 1.4 तथा 1.6)।

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2013-18 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(₹ करोड़ में) विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,930	8,429	8,908	9,927	6,450	9.17
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) (जुलाई 2017 से जीएसटी शुरू)					4,387	
राज्य उत्पाद शुल्क	2,549	2,892	3,338	3,444	4,054	17.71
वाहनों पर कर	651	703	829	985	1,180	19.80
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	990	1,023	1,185	1,211	1,197	(-)1.16
भू-राजस्व	226	332	364	504	446	(-)11.51
माल एवं यात्रियों पर कर	945	982	1,040	1,340	478	(-)64.33
अन्य कर ⁷	1,052	1,346	1,411	1,534	1,703	11.02
योग	14,343	15,707	17,075	18,945	19,895	5.01
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.04	9.51	8.71	10.95	5.01	

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

जुलाई 2017 से, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के साथ राज्य का कुल राजस्व प्रतिशत अवधि में 12.84 प्रतिशत तथा वास्तव में ₹ 2,433 करोड़ बढ़ गया (जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि ₹ 1,483 करोड़ सम्मिलित) अतः यह प्रतीत होता है कि जीएसटी का लागू होना राज्य के राजस्व संग्रहण को अच्छी गति देता है।

इसी के साथ वर्ष 2017-18 के दौरान यह देखा गया कि राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व कर पर, वार्षिक 12 प्रतिशत ₹ 618 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रतिकारी शुल्क

⁷ अन्य व्यय-होटल प्राप्तियाँ, आय तथा व्यय पर कर, बिजली पर कर, सेवाओं तथा वस्तुओं पर कर।

और शराब की खुदरा बिक्री, छत्तीसगढ़ पेय निगम लिमिटेड, द्वारा अधिग्रहण करने से हुई।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2013-18 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

तालिका 1.11: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
गैर-लौह खदान और धातु कर्म उद्योग	3,236.01	3,572.68	3,709.52	4,141.47	4,911.44	18.59
वृहद सिंचाई	339.82	410.95	502.17	437.35	461.23	5.46
वानिकी तथा वन्य जीव	405.91	348.72	409.75	405.15	291.17	(-)28.13
ब्याज प्राप्तियां	380.90	171.89	108.23	157.24	180.44	14.75
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां ⁸	738.53	425.67	485.12	528.04	496.14	(-)6.04
योग	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	11.84

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों में क.भिरा. का हिस्सा वर्ष 2016-17 के दौरान 10.56 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2017-18 में बढ़कर 10.63 प्रतिशत हो गया। क.भिरा. में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान (₹ 671 करोड़, 11.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जोकि मुख्य रूप से गैर-लौह खनन और धातु कर्म उद्योगों में ₹ 770 करोड़ (18.59 प्रतिशत), शहरी विकास ₹ 25.00 करोड़ (365.43 प्रतिशत) तथा वृहद सिंचाई ₹ 24.00 करोड़ (5.46 प्रतिशत) के कारण हुआ।

1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण और लागत का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: कर और शुल्कों के संग्रहण की लागत

राजस्व शीर्ष	सकल संग्रह	राजस्व संग्रह पर व्यय	व्यय संग्रह का प्रतिशत	पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत में
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत में)	
बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	6,449.60	67.24	1.04	0.69
वाहनों पर कर	1,180.01	15.51	1.31	2.01
राज्य उत्पाद शुल्क	4,054.00	171.67	4.23	2.61
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1,197.47	22.27	1.86	2.99

(महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और संघीय कर एवं शुल्कों का हिस्सा मिलता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23 अगस्त 2016 के अनुसार व्यय को योजना एवं गैर योजना

⁸ लघु सिंचाई (₹ 122 करोड़), लोक कार्य (₹ 54 करोड़), चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (₹ 52.56 करोड़), लामांश (₹ 4.80 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम) इत्यादि।

में वर्गीकृत करना 2017-18 से बंद कर दिया गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 1.13 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.13: भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान					9,275.76
वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान					1,460.23
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान					109.64
केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान	4,726.16	8,987.80	8,061.59	10,261.63	212.28
वस्तु एवं सेवा कर (सामान्य सहायता अनुदान) लागू करने के कारण हुई हानि के लिए प्रतिपूर्ति					1,483.00
अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान					116.25
योग	4,726.16	8,987.80	8,061.59	10,261.63	12,657.16
राजस्व प्राप्तियां	32,050	37,988	46,068	53,685	59,647.07
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	14.75	23.66	17.50	19.11	21.22

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2013-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित करों का विवरण तालिका 1.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय कर अंतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16	20,754.81
राजस्व प्राप्तियों के हिस्से के रूप में केन्द्रीय कर हस्तांतरण	24.59	22.01	34.12	35.04	34.80

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से केन्द्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि मुख्य रूप से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,094 करोड़), निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 1,181 करोड़), निगम कर (₹ 333 करोड़) एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 219 करोड़) के अंतर्गत हुआ। जबकि करों का संकलन मुख्य रूप से संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 768 करोड़), सेवा कर (₹ 677 करोड़) और सीमा शुल्क (₹ 496 करोड़) के अंतर्गत कम हुआ।

1.3.5 राजस्व का कम संग्रहण

1.3.5.1 करों का कम निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 501 इकाईयों⁹ में से 81 इकाईयाँ जोकि वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, खनन प्राप्ति, वाहनों पर कर, वानिकी और वन्य जीवन एवं विद्युत कर से संबंधित थी, के नमूना जाँच से प्रदर्शित हुआ की 22,986 प्रकरणों में करों और शुल्क के कम वसूली/वसूली नहीं किए

⁹ वाणिज्यिक कर विभाग (55 इकाईयाँ), मुद्रांक और पंजीयन विभाग (114 इकाईयाँ), राज्य आबकारी विभाग (27 इकाईयाँ) भू-राजस्व विभाग (165 इकाईयाँ), उर्जा विभाग (17 इकाईयाँ), परिवहन (24 इकाईयाँ), भू-गर्भ तथा खाद्य विभाग (32 इकाईयाँ), वन विभाग (67 इकाईयाँ)।

जाने वाले कर, शुल्क एवं फीस/राजस्व की हानि इत्यादि के रूप में कुल ₹ 4,227.18 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। संबंधित विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गये 17,155 प्रकरणों में ₹ 133.78 करोड़ की कम आकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

बकाया राजस्व की राशि का विवरण नीचे तालिका 1.15 में दिया गया है

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि		पाँच वर्ष से अधिक की बकाया राशि	
		31 मार्च 2017 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति	31 मार्च 2017 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1,887.09	2,459.64	831.28	1,074.29
2	राज्य उत्पाद शुल्क	49.91	51.20	19.91	26.49
3	विद्युत पर कर एवं शुल्क	708.53	951.63	108.35	189.58
4	वाहनों पर कर	26.65	27.72	9.80	8.06
5	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	17.23	54.17	2.35	15.37
6	गैर लौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	0.85	0.77	0.85	0.77
7	वानिकी एवं वन्य जीवन	8.67	..	3.30	..
योग		2,698.93	3,545.13	975.84	1,314.56

वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने बकाया राजस्व की आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

अनुशसा: वित्त विभाग को बकाया राजस्व की तेजी से वसूली के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूँजी भाग के अंतर्गत वर्ष 2013-18 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.16 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.16: पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	7.64	3.03	2.84	2.37	3.32
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	1,637.27	194.86	296.39	172.99	138.59
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	5.14	0.91	0.52	0.38	1.24
(अ) कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,650.05	198.80	299.75	175.74	143.15
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.74	(-87.95)	50.78	(-41.37)	(-18.54)
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40	9,187.89
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	14.59	8.69	145.28	381.53	464.55
(ब) लोक ऋण (₹ करोड़ में)	3,931.89	6,439.67	7,251.15	5,479.93	9,652.44
पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)	5,581.94	6,638.47	7,550.90	5,655.67	9,795.59
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	91.08	63.78	12.60	(-24.43)	76.14
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.52	6.92	5.91	11.98	11.22
पू.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	54.90	18.93	13.74	(-25.10)	73.20

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भी विनिवेश नहीं किया गया। हालांकि, सहकारी संस्थाओं द्वारा ₹ 3.56 करोड़ वर्ष 2017-18 में पूंजीगत भाग के निवेश से वापस किया गया।

1.4.1 ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ

वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण की वसूली मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित रायपुर (₹ 26 करोड़), शहरी निकायो को बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ऋण (₹ 24.84 करोड़), भोरमदेव सहकारी चीनी मील (₹ 20 करोड़), नगर निगम के विशेष-अवसर हेतु ऋण (₹ 18.40 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण (₹ 16.39 करोड़) एवं महामाया सहकारी चीनी मील अम्बिकापुर (₹ 10 करोड़) से हुई।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका:1.17 राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार ऋण	3,000.00	4,200.00	4,850.00	4,200.00	8,100.00
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	0.00	0.00	870.12	0.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	674.62	796.13	673.52	898.40	1,087.89
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	242.68	658.81	712.23	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	776.04	0.00	0.00	0.00
योग	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40	9,187.89

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा निवेश और ऋण एवं अग्रिम की तुलना में उच्च ब्याज दर पर उधार लेने के प्रभाव की चर्चा कण्डिका 1.8.3 एवं 1.8.4 में की गई है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार से ₹ 465 करोड़ ऋण एवं अग्रिम मुख्यतः छत्तीसगढ़ सड़क क्षेत्र विकास परियोजना क्रम II (₹ 446.67 करोड़) और सतत शहरी परिवहन योजना (₹ 17.64 करोड़) के लिए प्राप्त हुये।

1.4.4 क्षतिपूर्ति उपकर का अनंतिम समायोजन

1.4.4.1 वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा जीएसटी लागू किये जाने के कारण पाँच सालों में हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करेगी। राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की गणना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त अंतिम राजस्व आंकड़े, जिनकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है, के आधार पर की जाती है। जीएसटी के करों के राजस्व आंकड़े जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतिमीकृत किये गये थे। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व ₹ 7,357.43 करोड़ थे राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का लागू करके की जायेगी। आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित राजस्व (01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) का आंकड़ा ₹ 7,171.29 करोड़ था। 2017-18 के राजस्व के आंकड़ें प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार

वित्त लेखों में प्रदर्शित किये गये हैं जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का कर भाग का एसजीएसटी में हस्तांतरण का विभाजन और आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन राज्य सरकार द्वारा जीएसटी के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹ 7,171.29 करोड़ के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति का वितरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: एकत्रित प्री जीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी का प्रावधिक विभाजन और भारत सरकार से प्राप्त संरक्षित राजस्व के विरुद्ध जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य प्राप्त आईजीएसटी की क्षतिपूर्ति।

(₹ करोड़ में)

माह	9 माह में संरक्षित राजस्व	एकत्रित प्री जीएसटी कर ¹⁰	एकत्रित एसजीएसटी	आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति ¹¹	प्राप्त वास्तविक क्षतिपूर्ति (31-03-2018 तक)	शेष
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7(2-6)	8	7(7-8)
जुलाई और अगस्त 2017	1,593.62	893.75	324.48	78.71	1,296.94	296.68	0	296.68
सितम्बर और अक्टूबर 2017	1,593.62	145.31	639.86	276.84	1,062.01	531.61	253	278.61
नवम्बर और दिसंबर 2017	1,593.62	72.74	602.66	375.15	1,050.55	543.07	562	(-)18.93
जनवरी और फरवरी 2018	1,593.62	26.01	756.74	685.61	1,468.36	125.26	219	(-)93.74
मार्च 2018	796.81	50.49	459.5	187.01	697	99.81	449	(-)349.19
योग	7,171.29	1,188.30	2,783.24	1,603.32	5,574.86	1,596.43	1,483.00	113.43

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान जीएसटी की क्षतिपूर्ति का ₹ 113.48 करोड़ कम हस्तांतरित किया है। जबकि मार्च माह तक का क्षतिपूर्ति ₹ 106 करोड़, मई 2018 में प्राप्त हुआ, जिसे वर्ष 2017-18 के लेखों में प्रदर्शित ना करके 2018-19 के लेखों में प्रदर्शित किया जायेगा। अर्थात्, उपरोक्त समयावधि के दौरान जीएसटी की क्षतिपूर्ति का ₹ 7.43 करोड़ बकाया भारत सरकार द्वारा (नवम्बर 2018) राज्य को कम हस्तांतरित किया गया।

1.4.4.2 आईजीएसटी का आग्रिम विभाजन एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध इसका समायोजन

भारत सरकार के आईजीएसटी एक्ट, 2017 के सेशन 17 के अंतर्गत आईजीएसटी का विभाजन राज्य सरकार को करना पड़ता है। राज्य विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने अंतिम/अग्रिम ₹ 322.00 करोड़ को विभाजन के भुगतान की स्वीकृति (फरवरी 2018) इन शर्तों के साथ की, कि राशि का समायोजन अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान आईजीएसटी का भुगतान 10 बराबर किस्तों में किया जायेगा। जबकि, जनवरी 2018 के दौरान ₹ 322 करोड़ का अग्रिम भुगतान भारत सरकार द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2017 के लिये राज्यों को देय क्षतिपूर्ति से किया गया उस समयावधि के दौरान ₹ 322 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के रूप में जोड़ना, स्वीकृति आदेश के अनुसार अनियमित है। जबकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 322 करोड़ प्राप्त किया।

अनुशंसा: सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि वापसी के लिए कार्य करना चाहिए।

¹⁰ वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर (शुद्ध वापसी) और पेट्रोलियम पदार्थ तथा शराब में वैट और केन्द्रीय बिक्री कर छोड़कर जीएसटी में सामाहित राजस्व सम्मिलित।

¹¹ क्षतिपूर्ति के आंकड़ें प्रावधिक हैं।

1.5 लोक लेखे की शेष राशि

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम उचंत और प्रेषण इत्यादि के तहत प्राप्तियाँ और वितरण जो राज्य के समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखी जाती है और न ही राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और वितरण की स्थिति वित्तीय लेखे के विवरण 21 में दिखायी गई है और लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.19 में दिखायी गई है।

तालिका 1.19:- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

स.क्र	लोक लेखा प्राप्तियाँ	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल लोक प्राप्तियाँ
1	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,435.87	795.26	640.61
2	आरक्षित निधियाँ	1,224.59	1,702.52	(-)477.93
3	जमा तथा अग्रिम	4,039.17	3,918.22	120.95
4	उचन्त और विविध	1,55,385.53	1,56,996.70	(-)1,611.17
	घटाइये- विभागीय शेष	2.81	4.39	(-)1.58
	घटाइये - स्थाई अग्रदाय	0.00	0.00	0.00
	घटाइये - रोकड़ शेष निवेश	1,00,028.39	1,01,587.25	(-)1,558.86
	कुल- उचन्त और विविध	55,354.33	55,405.06	(-)50.73
5	प्रेषण	10,003.60	9,932.68	70.92
योग (1 से 5 तक)		72,057.56	71,753.74	303.82


(स्रोत: वर्ष 2017-18 वित्त लेखे)

घाटे के वित्तीय में निधि की शुद्ध उपलब्धता के अंतर्गत लघु बचत, जमा तथा अग्रिम और प्रेषण का प्रमुख भाग है।

1.6 संसाधनों का उपयोग

व्यय की वृद्धि तथा संरचना

चार्ट 1.6 वर्ष 2013-18 के दौरान क्रमशः कुल व्यय के प्रवृत्ति एवं संरचना को दर्शाता है।



(स्रोत: वर्ष 2017-18 वित्त लेखे)

1.6.1 पूँजीगत व्यय

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान पूँजीगत व्यय (₹ 530 करोड़; 5.60 प्रतिशत) बढ़ गया जोकि मुख्य रूप से परिवहन (₹ 309 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹ 289 करोड़) पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ। यद्यपि, उसी वर्ष पूँ.व्य. मुख्य रूप से पॉवर (₹ 446 करोड़) और लघु सिंचाई (₹ 261 करोड़) के अंतर्गत घटा था।

तालिका 1.20 पूँजीगत व्यय का स.रा.घ.उ. के साथ अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	4,574	6,544	7,945	9,471	10,001
पूँजीगत व्यय का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2.21	2.96	3.39	3.61	3.43

छत्तीसगढ़ का (3.43 प्रतिशत) पूँजीगत व्यय तथा स.रा.घ.उ. का अनुपात पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश (2.84 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा था, लेकिन झारखंड (4.68 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (4.37 प्रतिशत) से कम रहा।

1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2016-17 में 83 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 84 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 19 प्रतिशत था। पिछले वर्ष 2016-17 के राजस्व व्यय ₹ 48,165 करोड़ की तुलना में वृद्धि वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹ 56,230 करोड़ (₹ 8,065 करोड़, 16.74 प्रतिशत) हो गया जो कि मुख्य रूप से सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में कमशः ₹ 3,030 करोड़ और ₹ 3,447 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य रूप से वेतन मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन और ब्याज पर व्यय शामिल होता है। तालिका 1.21 में वर्ष 2013-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय में प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.21: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	9,137 (29)	10,003 (26)	10,865(24)	11,424 (21)	15,337	13,184
सहायता अनुदान से वेतन का भुगतान	1,749 (5)	2,010 (5)	2,305(5)	2,868 (5)	—	3,447
ब्याज भुगतान	1,351(4)	1,727(5)	2,149 (5)	2,687 (5)	3,023	3,098
पेंशन	2,752(9)	3,249 (9)	3,519 (8)	3,487 (6)	5,214	3,898
सब्सिडी	3,156(10)	3,747 (10)	7,397 (16)	4ए189(8)	6,108	5,005
कुल	18,145 (57)	20,736 (55)	26,235 (57)	24,655(46)	29,682	28,632

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक राजस्व प्राप्ति को प्रतिशत इंगित करता है।

एन.ए. बजट अनुमान में उपलब्ध नहीं है।

*केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत वेतन मजदूरी का भुगतान सम्मिलित

वेतन एवं मजदूरी (₹ 13,184 करोड़) ब्याज भुगतान ₹ 3,098 करोड़ और पेंशन ₹ 3,898 करोड़ कुल मिलाकर राजस्व व्यय के 36 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति का 34 प्रतिशत उपयोग किया।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 11,424 करोड़ का हुआ था, जो कि वर्ष 2017-18 में बढ़कर (₹ 1,760 करोड़) ₹ 13,184 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान¹² से भुगतान किया गया वेतन वर्ष 2016-17 में हुये व्यय ₹ 2,868 करोड़ से बढ़कर (₹ 579 करोड़) वर्ष 2017-18 में ₹ 3,447 करोड़ हो गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थी, जो कि मुख्य रूप से बाजार ऋण ₹ 378.62 करोड़ (29 प्रतिशत) पर ब्याज की तेज वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का पाँच प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक नीचे तालिका 1.22 में दिए गए हैं।

तालिका 1.22:- ब्याज भुगतान के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17			2017-18		
	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में
आंतरिक ऋण	28,330.29	2,107.16	7.44	36,690.44	2,474.18	6.74
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,047.15	137.49	6.72	2,339.57	133.83	5.72
लघु बचत भविष्य निधि आदि	4,592.47	370.95	8.08	6075.40	419.55	6.91
अन्य	8,460.95	71.23	0.84	7,801.67	70.77	0.91
कुल	43,430.86	2,686.83	6.19	52,907.08	3,098.33	5.75

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पेंशन भुगतान

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया जाता है।

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसंबर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006-18 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,697.89 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 1,688.26 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 9.63 करोड़ कम था।

31 मार्च 2018, की स्थिति में ₹ 14.51 करोड़ (प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों का अंशदान ₹ 3.48 करोड़ सम्मिलित) लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 9.63 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 14.51

¹² सहायता अनुदान से विभिन्न संस्थाओं शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृत, कृषि तथा संबद्ध किया-कलाप और ग्रामीण विकास को वेतन भुगतान।

करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 24.14 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई।

अनुशांसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए।

सब्सिडी

वर्ष 2017-18 में सब्सिडी ₹ 5,005 करोड़, राजस्व प्राप्तियों को 8.39 प्रतिशत रही, ये सब्सिडी मुख्यतः मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹ 2,048 करोड़), पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (₹ 819 करोड़), उपभोक्ताओं के बिजली फीस में माफी (₹ 514 करोड़) में थी।

कुछ सब्सिडी वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान (प्रकार में) के रूप में तालिका 1.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.23: राज्य शासन द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (प्रकार में)

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजनाएं	2016-17	2017-18
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	106.17	59.41
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	93.57	88.14
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.70	0.68
कृषि	पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	259.48	849.67
संचार	तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप/टेबलेट का प्रदाय	5.54	47.07
योग		465.46	1,044.97

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7 व्यय की गुणवत्ता

विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें) कुल व्यय का 78 प्रतिशत है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.24 में की गई है।

तालिका 1.24: वर्ष 2013-14 एवं 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ई/स.रा.घ.उ.	डीई [#] /ई	एसएसई/ई	सीई/ई	शिक्षा/ई	स्वास्थ्य/ई
औसत (अनुपात) 2013-14						
सामान्य श्रेणी राज्य	14.70	66.50	37.60	13.60	17.20	4.50
छत्तीसगढ़	20.94	76.73	38.65	11.80	18.32	4.01
औसत (अनुपात) 2017-18						
सामान्य श्रेणी राज्य	16.10	67.90	36.70	14.40	15.50	4.90
छत्तीसगढ़	22.83	77.87	40.72	15.57	18.79	6.02
ई: सकल व्यय, डीई-विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय #विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।						

वर्ष 2017-18 में लोक व्यय की पर्याप्तता का अनुरूप दर्शाता है कि, सामान्य श्रेणी राज्य के औसत तथा राज्य के खुद का प्रदर्शन वर्ष 2013-14 के तुलना में बेहतर था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

तालिका 1.25 पिछले वर्ष के बजट राशि एवं व्यय के साथ-साथ वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.25: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास राजस्व व्यय	24,038 (62)	29,541 (64)	32,392 (63)	35,518 (61)	45,224	41,995 (63)
विकास पूँजीगत व्यय	4,392 (11)	6,287 (14)	7,582 (15)	9,283 (16)	13,980	9,698 (15)
विकास ऋण एवं अग्रिम	1,309 (03)	78 (0.17)	164 (0.32)	273 (0.47)	265	169 (0.25)
कुल विकास व्यय	29,739 (77)	35,906 (78)	40,138 (77)	45,074 (78)	59,469	51,862 (78)
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	38,757	46,195	51,811	57,968		66,600

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.26 में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2016-17			2017-18		
	सी.ई का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में		सी.ई का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में	
		अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.89	0.11	34.44	1.00	0.12	36.56
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.56	0.63	44.23	0.60	0.65	43.10
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.89	0.98	3.29	1.64	0.66	2.57
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	4.24	0.48	27.68	3.98	0.34	28.13
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.16	0.64	18.72	0.13	0.48	16.61
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.26	4.95	47.42	2.52	11.63	51.70
कुल आर्थिक सेवाएं जिनमें	11.77	2.52	14.27	10.58	2.44	12.72

(स्रोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे) टी.ई: संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सी.ई: संबंधित क्षेत्र में पूँजीगत व्यय;

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

13^{वें} एव 14^{वें} वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए इन सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ) पर लागत वसूली दर निर्धारित की थी। 2013-18 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.27 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.27: सिंचाई परियोजनाओं में लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	13 ^{वें} एव 14 ^{वें} वित्त आयोग के लागत वसूली का आंकलन	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली में अंतर
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2013-14	411.19	756.44	60	184	(-)124
2014-15	448.12	544.85	75	122	(-)47
2015-16	486.45	630.18	35	130	(-)95
2016-17	508.63	624.47	35	123	(-)88
2017-18	531.51	588.88	35	111	(-)76

राज्य सरकार ने वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत किसी सिंचाई परियोजना को वाणिज्यिक के रूप में घोषित नहीं की इसके पश्चात् भी लागत वसूली का हिस्सा अनुकूल हुई। छत्तीसगढ़ (-76 प्रतिशत) की सिंचाई परियोजनाओं की अंतराल लागत वसूली पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (-47 प्रतिशत), एवं उत्तर प्रदेश (21 प्रतिशत) के तुलना में बेहतर थी।

अनुशांसा: राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार लागत वसूली का आंकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी जो 31 मार्च 2018 तक या उससे पहले पूर्ण होने थे, तालिका 1.28 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.28 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अपूर्ण परियोजनायें				31 मार्च 2018 को 110 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
			42 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत संशोधित	42 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 42 अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत		
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	16	479.20	4	234.97	737.22	502.25	633.83
जल संसाधन	94	3,233.18	38	1,467.10	3,808.11	2,341	3,433.02
योग	110	3,712.38	42	1,702.07	4,545.33	2,843.25	4,066.85

(स्रोत: वित्त लेख 2017-18)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण

परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके। चूंकि राज्य सरकार ने 68 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। जिससे परियोजना का वांछित लाभ नहीं पाया जा सका।

अनुशंसा: लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2018 की स्थिति में, शासन ने 13 सरकारी कंपनियों ₹ 6,459.45 करोड़, 1523 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 199.15 करोड़), दो सांविधिक निगमों (₹ 37.82 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 25.15 करोड़) तथा पाँच संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 144.80 करोड़) में ₹ 6,866.37 करोड़ निवेश किया।

वर्ष 2013-18 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की स्थिति तालिका 1.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: निवेश पर प्राप्त लाभांश/ब्याज

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में)	1,866.44	1,872.53	6,192.22	6,778.60	6,866.37
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	14.21	0.86	5.73	0.55	4.80
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.76	0.05	0.09	0.01	0.07
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.12	6.16	6.25	6.62	6.38
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	5.36	6.11	6.16	6.61	6.31
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	100.04	114.41	381.44	448.07	433.27

* (वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच 31 मार्च 2018 तक के अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

पिछले पाँच वर्षों में राज्य शासन को शासकीय ऋण पर ब्याज एवं निवेश के प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 1,477.23 करोड़ को हानि हुई। यह गौर करने की बात है कि निवेश पर खराब प्रतिफल के बावजूद भी वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता द्वारा नियमित रूप से बजटीय समर्थन प्रदान किया। यद्यपि इन्होंने अपने लेखों का अतिमीकरण नहीं किया।

अनुशंसा: राज्य शासन को उन कंपनियों/निगमों/बैंकों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूंजी की उधार लागत को पूरा नहीं करता है।

1.8.4 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। विवरण तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधारियों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारंभिक शेष	1,864.72	1,545.99	1,395.41	1,273.96 ¹³	941.98 ¹⁴
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,318.53	88.32	164.73	272.71	368.76
वर्ष के दौरान पुर्नभुगतान राशि	1,637.27	194.86	296.39	172.99	138.59 ¹⁵
अंतशेष	1,545.99	1,439.45	1,263.75	1,373.69	1,172.16
निवल वृद्धि	(-)318.74	(-)106.54	(-)131.66	99.72	230.17
ब्याज प्राप्ति	274.43	47.30	47.02	30.19	27.61
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	17.75	3.17	3.54	2.28	2.36
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	6.12	6.16	6.25	6.62	6.38
ब्याज प्राप्ति एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	11.63	(-) 2.99	(-)2.71	(-)4.34	(-)4.02
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं ऋण पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	0.00	2.64	4.46	11.89	14.82

विगत पाँच वर्षों में (वर्ष 2013-14 छोड़कर) राज्य शासन को ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज तथा ऋण पर दिये गये ब्याज के अंतर से ₹ 33.81 करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का ब्योरा वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड एक में विस्तृत विवरण किया गया है एवं इकाइयों का विस्तृत विवरण जिनके ऋण के पुर्नभुगतान का बकाया वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड 2 में किया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.31 में प्रदर्शित किया गया है।

¹³ प्रधान महालेखाकार, मध्य प्रदेश के शेष प्राप्ति ₹ 10.21 करोड़ की बढ़ोतरी के कारण।

¹⁴ प्रारंभिक शेष में बदलाव (₹ 431.71 करोड़) प्रभाजित और नया रायपुर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2006-07 में भूमि अधिग्रहण हेतु दिये गये ऋण का पूँजीगत व्यय में रूपांतरण, (₹ 438.00 करोड़), सरकारी कर्मचारियों के ऋण तथा अग्रिम में प्रभाजन के तहत शुद्ध वृद्धि (₹ 6.74 करोड़), सांविधिक निगमों (₹ 0.41 करोड़) और सहकारी समितियों/निगमों/बैंकों (₹ 0.03 करोड़) में शुद्ध कमी, के कारण हुआ।

¹⁵ छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम का ₹ 0.71 करोड़ का अपरिवर्तनीय ऋण तथा अग्रिम बट्टे खाते में डाला गया सम्मिलित।

तालिका 1.31: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2017 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2018 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	339.18	637.60
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	339.18	637.60
(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	2,512.00	4,070.85
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	2,851.18	4,708.45
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	8.70	10.28
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,798.63	2,085.84
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)	1,807.67	2,096.46
कुल (अ) तथा (ब)	4,658.85	6,804.91

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोकड़ शेष को भारत सरकार के कोषालय देयकों में निवेश किया गया।

1.8.6 वित्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक के रोकड़ शेष निवेश के आंकड़ों में विविधता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के जांच के दौरान यह पाया गया कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा किए गये रोकड़ शेष निवेश के मार्च 2018 के आंकड़ों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रोकड़ शेष निवेश की जानकारी में ₹ 4.52 करोड़ की अंतर मौजूद है।


1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसंपत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2017 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2018 को ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.3 (भाग ब)** में प्रस्तुत किया गया है। दायित्व में आंतरिक ऋण, भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि में प्राप्तियाँ सम्मिलित है। शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के वित्त लेखे)

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को तालिका 1.32 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.32: राजकोषीय देयता-आधारभूत मानक

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंतरिक ऋण	12,943	18,195	24,214	28,330	36,690
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,003	1,854	1,836	2,047	2,340
लोक लेखा दायित्व	9,958	10,932	11,691	13,881 ¹⁶	13,877
कुल राजकोषीय देयतायें	24,904	30,981	37,741¹⁷	44,258	52,907
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	29.25	24.40	21.82	17.27	19.54
राजकोषीय देयतायें/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में) ¹⁸	12.04	14.01	16.11	16.88	18.14
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	77.70	81.55	81.93	80.90	88.70

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

वर्ष 2017-18 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुपात में बकाया ऋण 18.14 प्रतिशत था, जो राज्य के लिए एफआरबीएम (18.47 प्रतिशत) और 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा दिये गये मानक प्रेक्षण (17.05 प्रतिशत) से ज्यादा था।

¹⁶ वर्ष 2016-17 के आंकड़ें (₹ 827 करोड़) में अंतर का कारण वित्त लेखे में प्रोफार्मा समायोजन के आंकड़ों में अंतर है।

¹⁷ वर्ष 2015-16 के आंकड़ें में अंतर का कारण वित्त लेखे में प्रोफार्मा समायोजन के आंकड़ों में अंतर है।

¹⁸ स.रा.घ.उ. के आंकड़ों में अंतर के कारण प्रतिशत में बदलाव हुआ।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लोक लेखे में 16 आरक्षित निधि विशेष उद्देश्यों हेतु बनाये गये हैं। विवरण तालिका 1.33 में दिया गया है:

तालिका 1.33: वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष	01 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष क्रेडिट(+)/ डेबिट (-)	2017-18 के दौरान प्राप्ति	2017-18 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष क्रेडिट(+)/ डेबिट (-)
(क) ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	693.20	263.04	780.69	175.55
योग (क) ब्याज वाले आरक्षित निधि	693.20	263.04	780.69	175.55
(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8222-निक्षेप निधि	1746.94	200.00	0.00	1,946.94
8223-अकाल राहत निधि	3.69	0.09	0.00	3.78
8228-राजस्व आरक्षित निधि	4.63	0.00	0.00	4.63
8229- विकास तथा कल्याण निधि ¹⁹	1,678.24	761.46	921.83	1,517.87
8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	0.01	0	0	0.01
योग-(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि	3,433.51	961.55	921.83	3,473.23
योग क एवं ख- आरक्षित निधि	4,126.71	1,224.59	1,702.52	3,648.78
आरक्षित निधि निवेश लेखा	(-)1,798.63	0	287.21	(-)2,085.84

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

सोलह आरक्षित निधि (₹ 3,648.78 करोड़ अंतिम शेष) में से 12 संचालित तथा चार असंचालित (₹ 18.99 करोड़ अंतिम शेष) वर्ष 2000-2001 तथा 2017-18 के बीच थे। राज्य शासन 31 मार्च 2018 तक ₹ 2,085.84 करोड़ (57.17 प्रतिशत) का निवेश का चूकी थी। असंचालित निधियों के विवरण तालिका 1.34 में दिये गये हैं।

तालिका 1.34: असंचालित आरक्षित निधियों के विवरण

आरक्षित निधि के नाम	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	असंचालित वर्ष
8229- विकास एवं कल्याण निधि		
कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	0.06 (क्रेडिट)	2000-01
वनीकरण हेतु क्षतिपूर्ति निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008-09
शिक्षा हेतु विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011-12
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि		
अन्य निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01
योग	18.99 (क्रेडिट)	

¹⁹ प्रारंभिक शेष में घटाव ₹ 14.90 करोड़ वर्ष 2014-15 में, पर्यावरण उपकार निधि का खर्चा ₹ 12.90 करोड़ और वर्ष 2016-17 में अद्योसंरचना विकास उपकार निधि ₹ 2.00 करोड़ का खर्चा वहन करने से हुआ।

आगे, वर्ष 2001-02 में ग्रामीण विकास निधि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित निधि गठित किया गया था, जिसका 31 मार्च 2018 में ₹ 214.76 करोड़ संचयी शेष था। परन्तु, शुरुआत से ही इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण एवं संवितरण संचित निधि के उचित राजस्व एवं व्यय शीर्षों के डेबिट एवं क्रेडिट के माध्यम से होता है। जब यह रिज़र्व बैंक जमा सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं तभी यह वास्तविक रोकड़ हस्तांतरण दर्शाता है। चूंकि कोई वास्तविक नकद बहिर्वाह नहीं है, इसलिए आरक्षित निधि के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिखाए गये ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन के तहत भावना का उल्लंघन करती हैं। उनका एकमात्र प्रभाव प्रासंगिक वर्षों के लिए एक अनुपयुक्त अनुकूल राजस्व आधिक्य राजकोषीय घाटे की स्थिति को दर्शाता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आरक्षित निधि के तहत लेनदेन एवं शेष राशि की समीक्षा करनी चाहिए एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष राशि के वास्तविक निवेश करते हुए रोकड़ लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार को असंचालित निधि को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है एवं निरंतरता से संचित निधि में शेष राशि को भेजना चाहिए।

1.9.4 राज्य आपदा राहत निधि

मार्च 2018 को राज्य आपदा राहत निधि का शेष ₹ 175.55 करोड़ था। राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका 2010 के कण्डिका 19 एवं 20 के तहत, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के शेष को (क) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) ऑक्शनड ट्रेजरी बिल एवं (ग) ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है और अर्जित ब्याज को संबंधित कोष में जमा किया जाना है।

मार्च 2018 में राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 49.31 करोड़ राज्य आपदा राहत निधि को स्थानांतरित नहीं किया। जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। यद्यपि, जून 2018 में राशि राज्य आपदा राहत निधि को स्थानांतरित कर दिया गया था।

राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, अधिविकर्षण पर भुगतान की जाने वाली दर पर सरकार को विनिवेश किए गए शेषों पर ब्याज (₹ 693.20 करोड़) का भुगतान करना आवश्यक था। तथापि, निधि के निर्माण के बाद से शासन ने राज्य आपदा राहत निधि को कोई ब्याज नहीं दिया। वर्ष 2010-18 की अवधि के लिए लागू दरों पर ब्याज ₹ 281.88 करोड़ का आंकलन किया गया है। इनमें से, सिर्फ वर्ष 2017-18 के लिए न चुकाया हुआ ब्याज ₹ 56.01 करोड़ था, जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। इस तरह के न चुकाये हुए ब्याज राज्य शासन की दायित्व को बढ़ाता है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

1.9.5 संचित निक्षेप निधि

12^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष के शुरुआत में छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 217.15 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 43,430.86 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक

अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 200 करोड़ हस्तांतरण किया। राज्य सरकार द्वारा 17.15 करोड़ का कम योगदान किया गया जिसके कारण राजस्व आधिक्य अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। संचित निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान ₹ 1,946.94 करोड़ शेष रहा।

अनुशंसा: छत्तीसगढ़ शासन को 12^{वीं} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जरूरत राशि के ऋण मुक्ति हेतु संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित करना चाहिये।

1.9.6 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले पाँच वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.35 में दिया गया है।

तालिका 1.35: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)					
प्रत्याभूतियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	7,571.99	9,080.06	14,883.41	12,641.13	6,549.89
प्रत्याभूति की बकाया राशि	3,358.27	2,314.47	1,988.24	3,982.97	3,881.92

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2018 के अंत तक ₹ 3,881.92 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 6.51 प्रतिशत था। राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से नई प्रत्याभूति नहीं देगा। नई प्रत्याभूतियाँ (₹ 349.19 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत (0.12 प्रतिशत) में थी।

12^{वीं} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शुरुआत में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तदनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी एवं वर्ष 2005-06 से 2017-18 के दौरान ₹ 132.51 करोड़ का स्थानांतरण करना था, जिसमें से ₹ 19.91 करोड़ केवल वर्ष 2017-18 संबंधित है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश प्रत्याभूतियाँ मध्यम एवं कम जोखिम प्रकृति के होने के कारण वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरीत प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

तथापि, शासन को प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के तौर पर ₹ 11.67 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5.00 करोड़ की वसूली हुई जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ विपणन संघ रायपुर (₹ 6.67 करोड़) से कम प्राप्ति होना है।

अनुशंसा: राज्य शासन को 12^{वीं} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।

1.9.6.1 आफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस. पी.डी.सी.एल.) के पक्ष में निजी प्लेसमेंट बांड द्वारा ₹ 500 करोड़ के लिए प्रत्याभूति जारी किया। जिसमें से वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य शासन ने ₹ 300 करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण में उपयोग किया, जो किसी अन्य योजना के तहत नहीं था। छत्तीसगढ़

शासन द्वारा, इस बांड पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान करने की बात कही गई थी। जिसके तहत, सी.एस.पी.डी.सी.एल. के कर्ज के भुगतान का दायित्व पूरा छत्तीसगढ़ शासन पर हुआ।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा (वर्ष 2017) में, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सी.एच.बी.) को बैंक से ₹ 800 करोड़ लेने हेतु 0.5 प्रतिशत प्रत्याभूति फीस के साथ प्रत्याभूति दिया था।

छत्तीसगढ़ शासन इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग, (एच.ई.सी.जी.) से समझौते अनुसार, सी.एच.बी. 6424 आवसीय दर का सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निर्माण करेगी। इसके लिए सी.एच.बी. बैंक से कर्ज लेगी और एच.ई.सी.जी. मूलधन और ब्याज का भुगतान कर्ज पर वास्तविक यथास्थिति में करेगी। वर्ष 2017-18 के दौरान सी.एच.बी. ₹ 161.02 करोड़ का कर्ज कनेरा बैंक से लिया। वर्ष के दौरान एच.ई.सी.जी. ने कोई भुगतान नहीं किया। अतः छत्तीसगढ़ शासन पर ₹ 161.02 करोड़ का दायित्व बन गया।

इसी तरह, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी. एच.सी.एल.) को पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 10,000 आवसीय घर निर्माण हेतु ₹ 800 करोड़ का कर्ज बैंक से लेने प्रत्याभूति जारी किया। वर्ष 2017-18 के दौरान सी.पी.एच.सी.एल. ₹ 170.15 करोड़ का कर्ज हासिल किया (इलाहाबाद बैंक से ₹ 132.63 करोड़ और कनेरा बैंक से ₹ 37.52 करोड़) छत्तीसगढ़ शासन ने सी.पी.एच.सी.एल. से संबंधित कर्ज हेतु वार्षिक बजट में ₹ 100 करोड़ के प्रावधान को पारित कर दिया। इस प्रभाव से, सी.एस.पी.डी.सी.एल, सी.एच.वी. और सी.पी.एच.सी.एल. के कर्ज के भुगतान का दायित्व छत्तीसगढ़ शासन पर हुआ। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन का दायित्व ₹ 631.17 करोड़ कम आंका गया।

अनुशांसा: कर्ज की प्रभावी देनदारी छत्तीसगढ़ शासन के लेखा में दर्शित होना चाहिए।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण प्रारूप

यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण²⁰; गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता²¹; उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता²² ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता²³ का मुल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.36 2013-14 से शुरू विगत पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

²⁰ स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-स.रा.घ.उ. का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

²¹ राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

²² उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गईं। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।

²³ ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-स.रा.घ.उ. के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

तालिका 1.36: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	12.04	14.01	16.11	16.88	18.14
वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर) (₹ करोड़ में)	(-)2,405	(-) 2,196,41	2,563.71	1,396.51	(-)2,762
राज्य को शुद्ध ऋण की उपलब्धता (₹ करोड़ में)	4,283	4,551	4,687	3,003	5,550
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति)	0.04	0.05	0.05	0.05	5.19

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.10.3 राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा

राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा वर्ष 2017-18 तालिका 1.37 में दिया गया है।

तालिका 1.37: राज्य ऋण के परिपक्वता

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0 से 1	1,216.24	3.12
1 से 3	3,543.85	9.08
3 से 5	4,248.51	10.89
5 से 7	9,258.09	23.72
7 से 9	10,090.75	25.85
9 और उस से अधिक	10,672.56	27.34
योग	39,030.01	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

31 मार्च 2018 में राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा दर्शाती है कि, राज्य को 9 साल के अंदर 72.66 प्रतिशत ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। आगे यह भी दर्शाता है कि राज्य का अगले सात से 9 साल जो कि वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 के दौरान 10,090.75 करोड़ (कुल दायित्व का 25.85 प्रतिशत) ऋण का भुगतान करना है।

तालिका 1.38: उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता

ब्यौरे	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ ²⁴ (₹ करोड़ में)	10,310	11,914	12,902	11,804	15,851
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) ²⁵ (₹ करोड़ में)	6,027	7,363	8,215	8,801	10,301
निधियों की शुद्ध उपलब्धता (₹ करोड़ में)	4,283	4,551	4,687	3,003	5,550
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों से निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत	41.54	38.20	36.33	25.44	35.01

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ऋण ली गई निधियों की 64.99 प्रतिशत दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग किया एवं इसका उपयोग राज्य के पूँजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका। पड़ोसी राज्य झारखण्ड (22.24 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (17.27 प्रतिशत) एवं मध्य प्रदेश (13.37 प्रतिशत) की तुलना में छत्तीसगढ़ (35.01 प्रतिशत) राज्य की ऋण निधियों की शुद्ध उपलब्धता ज्यादा थी।

²⁴ कुल प्राप्तियाँ ₹ 15,851 करोड़ = आंतरिक कर्ज ₹ 9,188 करोड़ भारत सरकार का ऋण ₹ 465 करोड़ और अन्य कर्तव्य ₹ 6,198 करोड़।

²⁵ कुल वापसी ₹ 10,301 करोड़ = आंतरिक कर्ज के सापेक्ष मूलधन और ब्याज ₹ 3,302 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 306 करोड़ और अन्य दायित्व का निर्वहन ₹ 6,693 करोड़।